दिनांकः 19.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 18 साल से फरार चल रहे 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त रामकुमार पुत्र सहीराम निवासी कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** (सम्बन्धित मु0अ0सं0 37/1992 धारा 364/302/34 भादवि अपील सं0 4445/2005 चलानी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर) को मौ0 कडच्छ कस्बा व थाना ज्वालापुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त रामकुमार उपरोक्त **माननीय न्यायालय से जमानत प्राप्त कर वर्ष 2007 से फरार चल रहा था**। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रामकुमार पुत्र सहीराम निवासी कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 37/1992 धारा 364/302/34 भादवि अपील सं0 4445/2005 चलानी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *व0उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 आशीष कुमार थाना रामपुर बनिहारन जनषद सहारनपुर।*
3. *का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 95 विक्रान्त कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः 19.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-02 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 29.03.2015 को वादी मौ0 याकूब थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सददाम उर्फ साजिद पुत्र शब्बीर नि0 नूरबस्ती छप्पर वाली मस्जिद के पास थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के चचेरे भाई सईद अहमद की फावडा मारकर हत्या कर देने की सूचना पर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0-85/2015 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-448/2015 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-02 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-02 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 19.12.2025 को अभियुक्त सद्दाम उर्फ साजिद पुत्र शब्बीर नि0 नूरबस्ती छप्पर वाली मस्जिद के पास थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर को थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0स0-85/2015 धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री मैनपाल
विवेचक-क्षेत्राधिकारी बृजपाल सिंह
पैरोकार-है0का0 1091 हिमांशू थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः 19.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम-03 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 04 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -

अवगत कराना है, कि दिनांक 28.01.1998 को वादी अशोक कुमार पुत्र फूलसिंह जनपद सहारनुपर द्वारा अभियुक्तों 1-राजसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 2-चन्द्रपाल पुत्र मंगलसिंह नि0गण ग्राम झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर के द्वारा वादी पक्ष से गन्ना भरा ट्रैक्टर लूटना व मारपीट करने की सूचना पर मु0अ0स0-15/1998 धारा 393 भादवि थाना सरसावा पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-7326/2024 पर माननीय न्यायालय अपर-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम-03 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम-03 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 19.12.2025 को अभियुक्तगण 1-राजसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 2-चन्द्रपाल पुत्र मंगलसिंह नि0गण ग्राम झबीरण थाना सरसावा, सहारनपुर को थाना सरसावा पर पंजीकृत मु0अ0स0-15/1998 धारा 393 भादवि का दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास व 04 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता- (ए0पी0ओ0) श्रीमती निशा गुप्ता
विवेचक- उनि0 श्री आर0एस0 सोलंकी
पैरोकार- है0का0 गौरव कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।

दिनांकः 19.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 15.01.2005 को वादी थानाध्यक्ष श्री सुधीर कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.जनक पुत्र सुनहरा नि0 ग्राम नैनखेडा 2.करन सिंह पुत्र जगपाल नि0 ग्राम नन्हेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु अपराध कारित करने की सूचना पर मु0अ0स0-25/2005 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-45/2005 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 19.12.2025 को अभियुक्त 1.जनक पुत्र सुनहरा निवासी ग्राम नैनखेडा 2.करन सिंह पुत्र जगपाल निवासी ग्राम नन्हेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर को थाना रामपुर मनिहारान पर पंजीकृत मु0अ0स0-25/2005 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सिंह चौहान
विवेचक-उपनिरीक्षक श्री बिजेन्द्र सिंह भडाना
पैरोकार-है0का0 996 विक्रांत कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।

दिनांकः 19.12.2025

-प्रेस नोट-

नारी शक्ति का विश्वस्तरीय पराक्रम - अमेरिका में गूंजा सहारनपुर पुलिस का नाम,
म0का0 रिया वर्मा ने World Police & Fire Games में जीते 5 पदक

अवगत कराना है कि **रिजर्व पुलिस लाइन्स, सहारनपुर** में तैनात **महिला कांस्टेबल रिया वर्मा** द्वारा दिनांक **27.06.2025 से 06.07.2025** तक **बर्मिंघम, अलबामा (संयुक्त राज्य अमेरिका)** में आयोजित प्रतिष्ठित **World Police & Fire Games** में प्रतिभाग करते हुए अत्यंत **उत्कृष्ट एवं सराहनीय प्रदर्शन** किया गया। उक्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में **म0का0 रिया वर्मा** द्वारा **02 स्वर्ण पदक, 02 रजत पदक एवं 01 कांस्य पदक** अर्जित कर **पुलिस विभाग, जनपद सहारनपुर तथा उत्तर प्रदेश पुलिस** का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया गया है।

उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि से पुलिस बल की **प्रतिष्ठा, सम्मान एवं मनोबल** में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह सफलता उनके **समर्पण, कठोर परिश्रम, अनुशासन एवं उत्कृष्ट खेल कौशल** का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो पुलिस बल के अन्य कार्मिकों एवं युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है।

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** द्वारा **म0का0 रिया वर्मा** को **प्रशस्ति पत्र** देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार **निरंतर उत्साह, अथक परिश्रम एवं कुशलता** के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए **पुलिस विभाग एवं जनपद सहारनपुर की गौरवमयी परंपरा** को और अधिक ऊँचाइयों तक पहुँचाते रहने हेतु **प्रोत्साहित एवं शुभकामनाएँ** प्रदान की गईं।